न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी.एल. शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 208 / 2017

उनवान

लादू बनाम ओमप्रकाश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

आदेश

दिनांक 14.12.2018

अधिवक्ता प्रतिवादी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्व में भी आवेदक द्वारा एक नियमित वाद वास्ते दुरूस्ति इन्द्राज शीट व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के न्यायालय में वाद संख्या–09 / 2015 पेश किया गया था, जिसको भी माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.03.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसमें खसरा नम्बर 242 भी सम्मिलित थे, इसलिए भी उक्त आवेदन विधि के द्वारा वर्जित होने से निस्तरनीय है। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी टोंक में लम्बित है, जिसमें किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं है, ऐसी स्थिति में उसी भूमि के विरूद्व में आवेदक को धारा–251ए का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। उक्त धारा के तहत आवेदन केवल मात्र तभी किया जा सकता है, तब आवेदक के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो तथा उसकी आवश्यकता पूर्ण रूप से अत्यधिक हो परन्तु इस मामले में आवेदक ने महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए आवेदन पेश किया है क्योंकि उसकी खातेदारी के खेतों में आने–जाने के लिए उसके पूर्व तथा पश्चिम की तरफ रिकार्ड में तरमीमशुदा रास्ता मौजूद है, जो कि वादीगण की खातेदारी के खेतों तक जाता है, जिसमें से होकर बिना किसी विवाद के यह अपने खातेदारी के कुए पर पहुचंता है और उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। आवेदक ने अपने सम्पूर्ण आवेदन में यह अभिवचन नहीं किया है कि वे विपक्षी सं. 1 के खातेदारी के खेत में से ही आता–जाता रहा है। जबकि वास्तविकता विपक्षी सं. 1 के खेत में से आवेदक का कभी भी आना–जाना नहीं रहा है। उसकी ताहीद तहसीलदार द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2015 व दिनांक 06.05.2015 से होती है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का संबंधित गिरदावर यह मान रहे है कि खसरा नम्बर 242 / 2 में से कोई रास्ता नहीं है, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने से रिस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र धारा–251 ए के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है। क्योंकि आवेदक ने अपने खातेदारी के खेतों में जाने के लिए विपक्षी सं. 1 के खेत खसरा नम्बर 242/2 में से ही रास्ता मांगा है। जबकि उक्त धारा के तहत पहले आने जाने वाले खेतों की मेडों में से दोनों तरफ की मेडों में से रास्ता मांगा जा सकता है। जबकि आवेदक ने अपने आवेदन में खसरा नम्बर 242/2 के सटा स्थित खसरा नमब्र 285 व 242/4 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे उक्त आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में आवेदक ने पटवारी हल्का से मिलकर नाडी का ईन्द्राज खसरा गिरदावरी में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करवा दिया था जबकि मौके पर रास्ता नहीं था। जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर टोंक को किये जाने पर जांच में पटवारी को दोषी पाया गया तथा रास्ते का तथ्य झूठा निकला तथा तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध चार्जशीट सीसीए रूल्स 17 में प्रस्तुत की गई। प्रकरण उनवानी गोपी बनाम लादु में अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदक को किसी प्रकार के हस्तक्षेप के लिये माननीय न्यायालय द्वारा पाबन्द कर रखा है। तथा उक्त आदेश कन्फर्म कर दिया गया है। इस तथ्य को भी आवेदक द्वारा छिपाकर उक्त आवेदन पेश किया गया है। आवेदक वर्षो से खसरा नम्बर 883 व 272 के मध्य स्थित रिकार्डेड रास्ते से होता हुआ खसरा नम्बर 266 में से होकर खसरा नम्बर 265, 257, 258, 256 व 253 की मेड में से होकर खुद की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 246 में से होकर अपने कुए खसरा नम्बर 245 पर पहुंचता रहा है। पूर्व में जिस रास्ते से यह आता–जाता था, वह भूमि पूर्वजों की थी, वर्तमान में इसके हिस्सेदार इसकी खुद की संयुक्त के बंटवारे को लेकर हिस्सेदारों के मध्य विवाद होने के कारण प्रार्थी के हिस्सेदार के द्वारा कदीमी रास्ता बन्द कर दिया गया, प्रार्थी आवेदक द्वारा पूर्व में विद्यमान रास्ते को खुलवाने की कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि पटवारी हल्का से मिलकर अप्रार्थी के खेत के पास से रास्ता गलत तरमीम कराने हेतु प्राथना पत्र लगाया गया है, जिसको न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया, प्रार्थी आवेदक का पूर्व का रास्ता इसकी खातेदारी के खेत में पहुंचने हेतु अत्यधिक व सुविधाजनक एंव निकटस्थ रास्ता था, इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण होने खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वादी ने उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 2.15 बीघा है जिसमें से 242/3 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 242/5 रकबा 15 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 1.07 बीघा वाके ग्राम लाम्बा आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। खसरा नम्बर 242/4 रकबा 10 बिस्वा गोविन्दनारायण के नाम है तथ खसरा नम्बर 242/2 रकबा 16 बिस्वा विपक्षी सं. 1 ओमप्रकाश के नाम व खसरा नम्बर 242/1 रकबा 2 बिस्वा सिवायचक गैरमुमकीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रखा है। जो संवत 1969 आवटन हुई है तथा इससे पूर्व सम्वत 2022 से 2023 तक खसरा नम्बर 242 रकबा 2.15 बीघा का अंकन राजस्व रिकार्ड में नाडी के रूप में हो रखा था तथा खसरा नम्बर 242/2 व 285 के मध्य बिलालपुर का पानी का धोरा बना हुआ है। जिसके खसरा नम्बर 285 में पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 242/2 में होकर रास्ता बना हुआ है। जो खसरा नम्बर 307 व 236 आम रास्ते में मिला हुआ है प्रार्थी की आराजीयात एं कुए पर जाने क लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो खसरा नम्बर 883 व 272, 288

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

266 अंकित किये है वे केसर पुत्री बजनाथ के खातेदारी में व खसरा नम्बर 253, 257, 265 मोती पुत्र श्रीराम के खातेदारी में व खसरा नम्बर 246 व 245 आवेकक की खातेदारी में अंकित है। खसरा नम्बर 283 रकबा 1.17 बीघ ओमप्रकाश पुत्र गोपी की खातेदारी में व 272 रकबा 1.03 बीघा बद्री पुत्र रोडू गुर्जर की खातेउदारी व 881/2 हनुमान, मनोज, गिर्राज पि. प्रहलाद की खातेदारी में अंकित है जो रिकार्डेड खातेदार है मौके पर उपरोक्त आराजीयात में होकर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान 266 के अडवा है। दक्षिण से उत्तर की ओर आम रास्ता बैरवा ढाणी से उस्मानपुरा की ओर दर्शित है तथा उस्मानपुरा से आवेदक की खातेदारी की भूमि लगभग 5 किमी से भी अधिक दूरी पर स्थित है। जो रिकार्ड अनुसार आम रास्ता दर्शित किया इस रास्ते से यदि आवेदक आये जाये तो वह दक्षिण से बैरवा ढाणी से पहले तो उस्मानपुरा जाये और वहां से वापिस आवेदक की खातेदारी की भूमि कोई रास्ता नहीं आता है तथा खसरा नम्बर 236 में आकर मिलता है जो भी खसरा नम्बर 242/2 में से होकर आवेदक की खातेदारी में जाता है तथा 307 में से मिकल कर वापिस लाम्बा गांव में आता है। खसरा नम्बर 306,295,311, 294,312,292 के मध्य होता हुआ छापरिया आता है। खसरा नम्बर 883 व 272 वाला जो रास्ता प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा बताया गया है वो रास्ता लाम्बा से सोनवा वाला रास्ता है, उससे आवेदक पहले तो सोनवा जाये और वापस आवेदक खसरा नम्बर 889 के पास होकर 887 में होकर अपनी खातेदारी भूमि आये, जो खसरा नम्बर 250 में होता हुआ खसरा नम्बर 245 में आवे जो आवेदक के निवास स्थान व खातेदारी के खेतों से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवेदक की खातेदारी में आने जाने हेतु जो रास्ते बताये है वे उसके निवास स्थान से लगभग 5 से 7 किमी की दूरी के है। जिनसे आवेदक का अपनी खातेदारी के खेतों में आने जाने का कोई सुविधाजनक नहीं है। इसलिए आवेदक द्वारा विपक्षी ओमप्रकाश की खातेदारी के खेत के पूर्वी ओर मेड के सहारे बने हुए बिसलपुर नहर के धोरे के सहारे सहारे जो रास्ता बना हुआ है , पूर्व पश्चिम चोडाई 15 फिट व उत्तर दक्षिण लम्बा में रास्ता दिलाये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पेश किया है। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर होने से चलने योग्य नहीं है ओर निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जाये।

विद्वान वकील उभय पक्ष की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने अपने अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन कि सम्पूर्ण प्लेडिंग का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया है कि उसके कुऍं खसरा नं. 245 रकबा 0.6 बिस्वा गैर मुमकिन चाह पर आने–जाने का रास्ता ख0न0 307, 236 जो रिकॉर्डेड रास्ता है में से होता हुआ भूमि ख.न. 242/2की पूर्वी मेड के सहारे बिसलपुर परियोजना का धोरा बना हुआ है तथा धोरे के पास होता हुआ रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते से होता हुआ आवेदक अपनी आराजीयत एवं कुऍं पर आता–जाता रहा है। और इसी रास्ते का आवेदक 50 वर्षों से उपभोग करता रहा है, अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा प्रतिपक्षीगण ने इस रास्ते को बंद कर दिया है । इस प्रकार से आवेदक अपनी प्लेडिंग में यह कथन कर रहा है कि उसका रास्ता प्रतिपक्षिगण ने बंद कर दिया है। कानूनी रूप से यदि कोई विद्यमान् रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो उसके लिए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में धारा 251 में अलग से प्रावधान बना हुआ है। ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

परिस्थिति में धारा 251ए लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आवेदक ने पूर्व में भी इसी न्यायालय में प्रतिपक्षीगण के ख.न. 242/2 के संबंध में ही एक वाद दुरस्त इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। उस वाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2016 को खारिज कर दिया गया था। जिसकी अपील माननीय राजस्व अधिकारी टोंक के न्यायालय में वर्तमान में पेंडिग है। ऐसी स्थिति में ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसरण में एवं धारा 12 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसरण में आवेदक को उसी वाद हेतुक के आधार पर अन्य कार्यवाही करने का अधिकारी प्राप्त नहीं है जिसका निर्णय पूर्व में इस न्यायालय द्वारा कर दिया गया है। आवेदक ने न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छुपाया है और स्वच्छ हाथों से नहीं आया हैं इसके अतिरिक्त हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट अवलोकन किया । उससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के पास ख.न. 284 व 272 के मध्य स्थित ख.न. 883/1 सिंचाईचक से होता हुआ ख.न. 266 मे से होकर ख.न. 265 , 257, 258, 252, 253 की मेड से होकर खुद की खातेदारी ख0न0 246 मे से होकर अपने कुएँ खसरा नं. 245 पर पहुँचता है। इसके अतिरिक्त भी एक तरमीमशुदा रास्ता जो ख.न. 236 मे स्थित है। उसके पश्चात् ख.न. 892/1 में स्थित है व सीधा ही आवेदक के खातेदारी की भूमियों ख.न. 247, 248, 243, 246, 244, 242/5 तथा गैर मुमकिन चाह ख.न. 245 में पहुँचता है। इस प्रकार से आवेदक के पास अपनी खातेदारी की भूमियों पर पहुँचने के रास्ते पूर्व में ही मौजूद है एवं आवेदक ने भिन्न- भिन्न समय पर प्रतिपक्षिगण के खसरा नं. 242/2 में जबरन रास्ता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग कार्यवाही की है एवं फौजदारी प्रकरण में भी स्वंय ने जुर्म स्वीकार किया है, ऐसी परिस्थिति में आवेदक 251ए के तहत इस प्रकरण में कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए कोई वाद हेतुक नहीं करता है। आवेदक द्वारा की गई कार्यवाही गलत तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है एवं वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है इस कारण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक द्वारा की गई कार्यवाही कानूनी प्रावधानों का अनुचित फायदा उठाने के उद्देश्य से की गई है। इस कारण प्रतिपक्षिगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनतर्गत धारा-251ए आरटीएक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner